B-3f 4
L-11
Social Justice

वन एवं जनजातिय वन अधिकार अधिनियम -2006

PDF Notes

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006)

वन अधिकार अधिनियम, 2006

31 दिसम्बर 2007 से लागू

6 दिसम्बर 2012 में संशोधन

KCS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

उद्देश्य

1. वन क्षेत्र के परंपरागत वासियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना।
2. वन क्षेत्र के निवासियों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
3. वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना
4. ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण करना

Scanned by CamScanner

नए कानून के अन्तर्गत निम्न शर्तों को पूरा करने वाले वन क्षेत्र के निवासी कहे जायेंगे यदि वे -

(i) अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं।

(ii) वे वन या वन भूमि में निवास करने वाले अन्य परम्परागत समुदाय के हैं।

(iii) वे अनुसूचित वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।

(iv) वे विगत 75 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अधिनियम में प्रदत्त अधिकार

धारा - 3-4

(i) स्वामित्व का अधिकार

(ii) उपयोग का अधिकार

(iii) राहत / मुआवजे एवं विकास का अधिकार

(iv) वन प्रबंधन का अधिकार

Scanned by CamScanner

धारा- 4-(4) एवं धारा 4-(5)

यह अधिकार वंशानुगत होगा परन्तु यह अधिकार संक्रमणीय / अन्य हस्तांतरणीय या धारा 4(4) तथा जन जातियों को उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा धारा 4(5)

धारा - 5

वन अधिकार के धारकों द्वारा -

वन्य जीव वन एवं जैव विविधता, जन स्त्रोत तथा अन्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान।

धारा - 6

इन वन अधिकारों को निहित करने के लिए राज्य द्वारा -

1. उपखण्ड स्तर की समिति।
2. जिला स्तर की समिति।
3. राज्यस्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रावधान।

धारा - 7

इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान।

Scanned by CamScanner

मूल्यांकन एवं निष्कर्ष

(i) निश्चित रूप से यह अधिनियम वन और जनजातियों के मध्य सहजीवी संबंधों को स्वीकार करके जनजातियों के विकास के साथ-साथ वनों के संरक्षण की दिशा में भी एक प्रभावी प्रयास है।

2. यह अधिनियम जनजातीय संस्कृति एवं आर्थिकी (वन आधारित संस्कृति एवं आर्थिकी) को संरक्षित रखते हुए जन जातियों का विकास करके उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान करता है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES

परन्तु - हाल के कुछ वर्षों में इस अधिनियम से जुड़े ऐसे मुद्दे उभरे हैं जो इस कानून की सफलता पर प्रश्न खड़ा करते हैं।
जैसे-

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत जनजातियों के 60% दावों को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है (2019 में सर्वोच्च कोर्ट ने 12 लाख जनजातियों को वन क्षेत्र से वनवासियों को बाहर करने का निर्देश दिया है)

Scanned by CamScanner

2. संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस अधिनियम को विकास के मार्ग में एक बाधा के रूप में देखा जाता रहा है फलतः विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए ग्राम सभा की सहमति संबंधित उपबंध एवं अन्य प्रावधानों को नजर अंदाज किया जाता रहा है।
(जुलाई 2016 के ओडीसा माइनिंग कार्पोरेशन पर इस अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था अगस्त 2023 में सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 संशोधन करके ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया है)

3. ग्राम सभाओं की सहमति से पारित संकल्पों को संबंधित पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए गलत तरह से भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग हेतु परिवर्तित किया जा रहा है।

4. आदिवासियों को विस्थापित करके औद्योगिक प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

5. जनजातीय क्षेत्रों में उत्खनन कार्य भी प्रकृति का शोषण है जिसका नुकसान वन एवं जनजातियों को उठाना पड़ रहा है।

6. आदिवासियों एवं वनों में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को वन संरक्षण संबंधी निर्णयों में स्थान नहीं दिया जा रहा है।

इसलिए इस अधिनियम की सफलता तभी संभव है जब दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ इस कानून को लागू किया जाए उपरोक्त विसंगतियों को दूर किया जाए और जनजातियों को जागरूक करके इस अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का लाभ लेने को उन्हें प्रेरित किया जाए।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

Scanned by CamScanner

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 एवं भारतीय जनजातियाँ

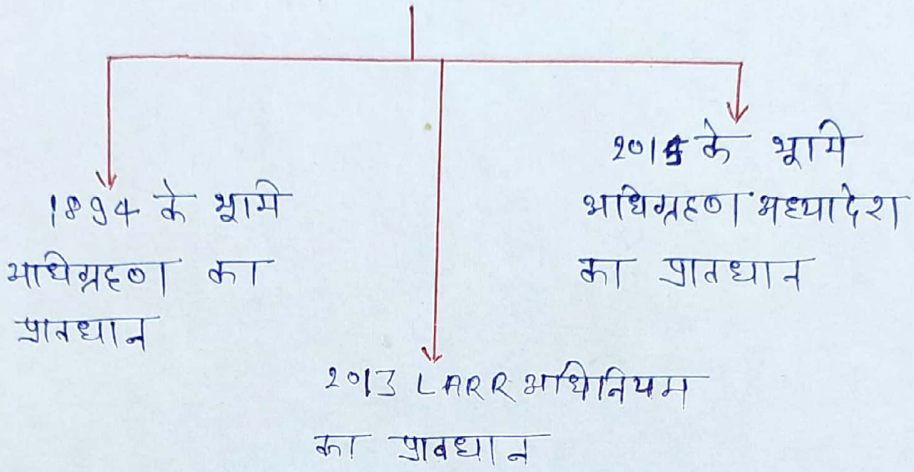

PDF Notes

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner